न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) बाह्य न्यायालय बांसगाँव, गोरखपुर।

मुलवाद सं० 61/1992 **JO Code- UP**2438

शिवप्रसाद बनाम श्री भागवत **CNR No- UPGK**120093322015

03-11-2020

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते सुनवाई/निस्तारण प्रार्थना पत्र 77 ग नियत है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 77 ग

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 77 ग मय समर्थित शपथ पत्र 78 ग प्रतिवादी श्री वेद प्रकाश द्वारा इस आशय का लाया गया है कि ऋषिमुनि पुत्र रामलगन द्वारा पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 31-08-1984 श्री भागवत के पक्ष में एवं बयनामा दिनांक 02-03-1984 श्री रामनवल के पक्ष में किया गया है। वादी द्वारा बयनामा दिनांक 11-06-1982 में ऋषिमुनि की जगह किसी अन्य व्यक्ति को खड़ाकर लिया गया है। उपरोक्त तीनों दस्तावेज के बावत एक्सपर्ट की राय लिया जाना आवश्यक है। ताकि स्पष्ट हो सके कि ऋषिमुनि ने वादी को बैनामा नही लिखा है। प्रार्थना पत्र के संबंध में दिनांक 20-02-2020 को माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा निर्देशित किया गया है। इसलिए रजिस्टर नं० 8 तलब होना आवश्यक है। इसप्रकार प्रतिवादी द्वारा वसीयतनामा दिनांक 31-08-84 व बैनामा दिनांक 02-03-84 को फर्जी बैनामा दिनांक 11-06-82 व दिनांक 12-03-82 से ऋषिमुनि के हस्ताक्षर के मिलान किये जाने हेतु याचना किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादी द्वारा आपत्ति कागज सं० 79 ग मय समर्थित शपथ पत्र कागज सं० 80 ग दाखिल। विपक्षी द्वारा मूल रुप से प्रार्थना पत्र कागज सं० 79 ग के माध्मय से यह कथन किया गया है कि प्रार्थना पत्र बावत एक्सपर्ट ओपिनियन खिलाफ कानून है। प्रतिवादी द्वारा इस आशय का दरखास्त कागज सं० 68 ग पूर्व में दिया गया था, जिसे अदालत द्वारा दिनांक 17-12-2018 को खारिज कर दिया गया। प्रतिवादी द्वारा आदेश दिनांक 17-12-2018 की सिविल निगरानी सं० 11/20 दाखिल किया गया था। जो माननीय जिला व सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 20-02-2020 को खारिज हो गया। प्रतिवादी का वसीयतनामा दिनांक 31-08-84 व बैनामा 11-06-82 के बावत न्यायालय सिविल जज जू०डि० में मंसूखी का वाद दाखिल है। जिसमें कार्यवाही चल रही है तथा जिसका आधार भी फर्जी है। वह फाल्स परसोनेशन के आधार पर वाद कायम किया गया है। इस रुप में उपरोक्त दस्तावेज का मिलान हम प्रार्थी के दस्तावेज से नही हो सकता। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र से एक्सपर्ट ओपिनियन मंगाये जाने हेतु पर्याप्त कारण नही बताया गया है। प्रतिवादी की दरखास्त C.P.C की धारा 11 से बाधित है। इसप्रकार विपक्षी द्वारा दरखास्त प्रतिवादी कागज सं० 77 ग को निरस्त किये जाने की याचना किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का सम्यक रुप से परिशीलन किया। अवलोकन से विदित है कि वादी द्वारा प्रस्तुत दावा वसीयतनामा द्वारा ऋषिमुनि दिनांक 31-08-84 को मंसूख किये जाने हेतु लाया गया है। प्रतिवादी द्वारा एक्सपर्ट ओपीनियन बावत प्रार्थना पत्र कागज सं० 68 ग पूर्व में दाखिल किया गया था। जिसपर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा

दिनांक 17–12–18 को आदेश पारित कर निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश की निगरानी में माननीय जिला व सत्र न्यायाधीश द्वारा यथोचित कारण के आधार पर पुनः एक्पर्ट ओपिनियन की राय मंगाये जाने बावत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। न्याय की यह मंशा होती है कि किसी भी मामले की निस्तारण गुण दोष के आधार पर किया जाय। वाद के सभी पक्षकारों को अपने तथ्य को साबित करने हेतु सुसंगत साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार है।

मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र कागज सं० 77 ग स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी उचित पैरवी अन्दर सप्ताह करें। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 17–11–2020 को पेश हो।

(आशीष कुमार सिंह)
सिविल जज जू०डि
बांसगाँव, गोरखपुर